"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2026—वैशाख 11, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 फरवरी 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/144//2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 5/7/2025/EO (MM-)-I दिनांक 09-01-2026 एवं 23-02-2026 के तारतम्य में श्री दीपक सोनी, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार भाटापारा की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त भारत सरकार को Director, D/o Health & Family Welfare, New Delhi के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 मार्च 2026

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2026 का सूचना तथा कार्यक्रम

No. GENS/8021/2026-Home Section.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2026, दिनांक 03 अगस्त, 2026 से दिनांक 10 अगस्त, 2026 तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें :—

सोमवार, दिनांक 03-08-2026

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	प्रथम प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	प्रश्न-पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
3.	प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
4.	प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
5.	प्रथम प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के), सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	Paper-1, "Electrical Laws (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	सोमवार, दिनांक 03-08-2026	
6.	द्वितीय प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7.	द्वितीय प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
60.	Paper-2, "Earthing and Electrical Safety (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	

मंगलवार, दिनांक 04-08-2026

(1)	(2)	(3)
9.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए", आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), भाग-"बी" सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
11.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"सी" सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
12.	प्रश्न पत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
14.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
61.	Paper-3, "Electrical Installation (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये	
	मंगलवार, दिनांक 04-08-2026	
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रश्न पत्र-प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
19.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
62.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये.	

बुधवार, दिनांक 05-08-2026

(1)	(2)	(3)
20.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व मामले में आदेश का लिखा जाना), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
22.	प्रश्न प्रथम पत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के), वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	प्रश्न पत्र-"व्यावहारिक शाखा" (बिना पुस्तकों के), गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिए	
63.	Paper-5 "Switchgear and Protection (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
	बुधवार, दिनांक 05-08-2026	
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	प्रश्न पत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
27.	प्रश्न पत्र-"पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के), गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिए	
28.	द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	
29.	तृतीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	
30.	प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
31.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
32.	प्रश्न पत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	Paper-6, "Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 06-08-2026

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
34.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 06-08-2026	
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 07-08-2026	
45.	प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) भाग-1, पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
46.	प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) भाग-1, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि विभाग के कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 07-08-2026	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
51.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित),भाग-2 पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	प्रश्न पत्र-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि विभाग के कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	तृतीय प्रश्न पत्र -अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु.जन.जाति) विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
	शनिवार, दिनांक 08-08-2026 एवं रविवार, दिनांक 09-08-2026 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 10-08-2026	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	प्रश्न पत्र-हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण पत्रों को गृह सी-विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-03-2026 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा चंपावत, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 618/10/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	पराघाटी प.ह.नं. 24	0.080	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	ससकोवा पाराघाटी मार्ग पर भरारी नाला में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 627/08/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	कापू	पत्थलगांव खुर्द प.ह.नं. 15	0.141	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	समनिया पत्थलगांव खुर्द मार्ग पर सांगुल नाला में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 632/09/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	ससकोबा प.ह.नं. 24	0.112	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग रायगढ़ (छ.ग.)	ससकोवा पाराघाटी मार्ग पर भरारी नाला में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2026

क्रमांक/1780/320/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	खरोरा	भरूवाडीह कला, प.ह.नं. 33	0.506	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर (छ.ग.).	मोहरेंगा से कठिया (मोहरा) मार्ग लंबाई 12.50 कि.मी. मजबूतीकरण एवं चौंड़ी-करण पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तिल्दा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2026

क्रमांक/1784/318/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	खरोरा	खौलीडबरी प.ह.नं. 33	0.6778	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर (छ.ग.).	मोहरेंगा से कठिया (मोहरा) मार्ग लंबाई 12.50 कि.मी. मजबूतीकरण एवं चौंड़ीकरण पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तिल्दा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2026

क्रमांक/1788/316/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	खरोरा	मोहरेंगा प.ह.नं. 33	0.2194	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर (छ.ग.).	मोहरेंगा से कठिया (मोहरा) मार्ग लंबाई 12.50 कि.मी. मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तिल्दा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2026

क्रमांक/1792/319/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	खरोरा	भरूवाडीह खुर्द प.ह.नं. 33	0.396	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर (छ.ग.).	मोहरेंगा से कठिया (मोहरा) मार्ग लंबाई 12.50 कि.मी. मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तिल्दा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2026

क्रमांक/1796/321/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	खरोरा	कठिया प.ह.नं. 26	0.195	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर (छ.ग.).	मोहरेंगा से कठिया (मोहरा) मार्ग लंबाई 12.50 कि.मी. मजबूतीकरण एवं चौंड़ीकरण पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तिल्दा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, डभरा जिला-सक्ती (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 22 अप्रैल 2026

"प्रारूप-ख"

[नियम-5 का उपनियम (1) देखिये]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 778/202604310400019/ब-121/2025-26.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कलमा, प.ह.नं. 11, तहसील चन्द्रपुर, जिला सक्ती से परिवहन हेतु ग्राम छोटे भंडार तहसील पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. तक मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाईप लाईन के उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चंद्रपुर	कलमा/ प.ह.नं. 11	2	0.267
			46/1	0.010
			46/2	0.053
			47	0.040
			53/1	0.032
			53/2	0.032
			54	0.004
			68/1	0.040
			69	0.032
			70	0.019
			72	0.063
			73/1	0.015
			73/2	0.015
			73/3	0.015
			76/1	0.080
			76/2	0.070
			77	0.023
			78	0.060
			79	0.042
			84	0.021
			135/2	0.040
			135/3	0.055
			136	0.021
			162/1 शामिल 135/1	0.012
			162/2 शामिल 135/3	0.016
			163	0.012
			164	0.065
			165/1	0.008
			165/2	0.008
			165/3	0.008
			165/4	0.008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			166/1	0.006
			166/2	0.005
			166/3	0.005
			166/4	0.005
			166/5	0.005
			166/6	0.005
			166/7	0.005
			167/1	0.002
			167/2	0.008
			167/3	0.012
			167/4	0.020
			179/1	0.081
			183/1	0.010
			184/4	0.012
			215	0.001
			224/1	0.035
			226	0.032
			227	0.080
			228/1	0.040
			228/2	0.087
		कुल प्रभावित खसरा संख्या- 51	**कुल प्रस्तावित रकबा 1.642 हे.**	

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी डभरा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

विनय कुमार कश्यप
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).